न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस.

अपील संख्या – 285/2016/75 एलआर एक्ट

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. शेराराम पुत्र दीवानाराम जाति बावरी निवासी भागसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. कृष्णलाल पुत्र दीवानाराम जाति बावरी निवासी भागसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. पूर्णराम पुत्र दीवानाराम जाति बावरी निवासी भागसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. बुधराम पुत्र दीवानाराम जाति बावरी निवासी भागसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. सरवती पुत्री दीवानाराम जाति बावरी निवासी भागसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. परमेश्वरी पुत्री दीवानाराम जाति बावरी निवासी भागसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
7. सन्तो पुत्री दीवानाराम जाति बावरी निवासी भागसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
8. रामाबाई पुत्री दीवानाराम जाति बावरी निवासी भागसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

–– रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 25.08.2014 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी पीलीबंगा प्र0 सं0 01/2014 अनवानी शेराराम आदि बनाम स्टेट

उपस्थित :–

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता अपीलांट

श्री अजय चौहान अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिनांकः–25.05.2018

1. प्रकरण के तथ्यं संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो./प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया कि चक 21 पीबीएन के प.न. 0/325 कि.न. 11 ता 14/1. 012 है0 बारानी 15, 16/0.456 है0 बारानी 0.050 है0 गैर मुमकिन खाला, 17

ता 20/1.012 है0 कुल 2.530 है0 प.न. 1डब्ल्यू/325 कि.न. 11 ता 20/2.530 है0, प.न. 1डब्ल्यू/327 कि.न. 7, 14, 15, 16, 17, 24, 25 कुल 1.771 है0, प.न. 0/329 कि.न. 6 ता 10/1.265 है0 कुल 8.096 है0 अनकमाण्ड भूमि मिर्जावाला कृषि सहकारी समिति को आवंटन हुई थी तथा प्रार्थीगण शेराराम वगैरा के पिता दीवानाराम उक्त सहकारी समिति के सदस्य थे। उक्त सहकारी समिति भंग होने के कारण रकबाराज दर्ज हो गया परन्तु दीवानाराम अपने जीवनकाल मे उक्त भूमि पर कब्जा काश्त करता रहा तथा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र दीवानाराम की मृत्यु दिनांक 04.11.1980 को हो चुकी है जिसका वारिसनामा सरपंच ग्राम डिगवाला का प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार दीवानाराम के 8 वारिस है। प्रार्थीगण की माता झुमादेवी का देहान्त दिनांक 03.11.2002 को हो चुका है। तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट के अनुसार चक 21 पीबीएन के प.न. 0/325 कि.न. 11 ता 14/1.012 है0 बारानी 15, 16/0.456 है0 बारानी 0.050 है0 गैर मुमकिन खाला, 17 ता 20/1.012 है0 कुल 2.530 है0 प.न. 1डब्ल्यू/325 कि.न. 11 ता 20/2.530 है0, प.न. 1डब्ल्यू/327 कि.न. 7, 14, 15, 16, 17, 24, 25 कुल 1.771 है0, प.न. 0/329 कि.न. 6 ता 10/1.265 है0 कुल 8.096 है0 अनकमाण्ड भूमि पर मौका पर मूल आवंटी दीवानाराम के वारिसों शेराराम आदि बतौर अतिक्रमी कब्जा काश्त है तथा एसबी सिविल रिट माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर का स्थगन है जिसमे प्रार्थीगण को प्रश्नगत भूमि से बेदखल नही करने के आदेश है। इसलिए प्रश्नगत भूमि राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ4(2)/कोलो/2007/जयपुर दिनांक 04.08.2008 के अनुसरण मे आवंटन के पात्र मानते हुए प्रश्नगत भूमि का पुख्ता आवंटन कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष यह तथ्य स्पष्ट था कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर मे एसबी सिविल रीट 1009/2003 विचाराधीन है एवं उसमे स्थगन है जो प्रश्नगत भूमि बाबत की था। इस कारण अपीलाधीन निर्णय से प्रश्नगत भूमि का आवंटन किसी भी सूरत मे रेस्पो0 को नही किया जा सकता था। परन्तु रीट पेटीशन का अन्तिम निर्णय आने से पूर्व ही जल्दबाजी मे अपीलाधीन निर्णय पारित करने मे विचारण न्यायालय ने भूल की है। प्रश्नगत भूमि आराजीराज दर्ज थी एवं रेस्पो0 प्रश्नगत भूमि के आवंटन की पात्रता नही रखते थे। विचारण न्यायालय ने आवंटन की पात्रता बाबत कोई जांच किये बिना विधिक प्रावधानो के विपरीत

भूमि का आवंटन रेस्पो. को किया है। रेस्पो0 के पास सिलिंग सीमा से अधिक पूर्व मे भूमि थी परन्तु इसकी कोई जांच किये बिना एवं भूमि की कीमत का सही निर्धारण किये बिना भूमि का आवंटन करने मे आवंटन नियमो की अवहेलना करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलाधीन निर्णय पारित होने के बाद विधि परीक्षण हेतु पत्रावली श्रीमान जिला कलैक्टर के यहां आने पर विधि परीक्षण मे अपीलाधीन निर्णय अपील योग्य पाये जाने पर दिनांक 18.01.16 को अपील तैयार करने हेतु राजकीय अधिवक्ता को प्रेषित करने पर दिनांक 05.02.2016 को अपील तैयार होने पर प्रस्तुत जा रही है इसलिये अपील प्रस्तुति मे हुई अवधि माफ की जाकर अपील अन्दर मियाद स्वीकार की जावें। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय को अपास्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ''चक 21 पीबीएन के प.न. 0/325 कि.न. 11 ता 14/1.012 है0 बारानी 15, 16/0.456 है0 बारानी 0.050 है0 गैर मुमकिन खाला, 17 ता 20/1.012 है0 कुल 2.530 है0 प.न. 1डब्ल्यू/325 कि.न. 11 ता 20/2.530 है0, प.न. 1डब्ल्यू/327 कि.न. 7, 14, 15, 16, 17, 24, 25 कुल 1.771 है0, प.न. 0/329 कि.न. 6 ता 10/1.265 है0 कुल 8.096 है0 अनकमाण्ड भूमि मिर्जावाला कृषि सहकारी समिति को आवंटन हुई थी तथा प्रार्थीगण शेराराम वगैरा के पिता दीवानाराम उक्त सहकारी समिति के सदस्य थे। उक्त सहकारी समिति भंग होने के कारण रकबाराज दर्ज हो गया परन्तु दीवानाराम अपने जीवनकाल मे उक्त भूमि पर कब्जा काश्त करता रहा तथा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र दीवानाराम की मृत्यु दिनांक 04.11.1980 को हो चुकी है जिसका वारिसनामा सरपंच ग्राम डिगवाला का प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार दीवानाराम के 8 वारिस है। प्रार्थीगण की माता झुमादेवी का देहान्त दिनांक 03.11.2002 को हो चुका है। तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट के अनुसार चक 21 पीबीएन के प.न. 0/325 कि.न. 11 ता 14/1.012 है0 बारानी 15, 16/0.456 है0 बारानी 0.050 है0 गैर मुमकिन खाला, 17 ता 20/1.012 है0 कुल 2.530 है0 प.न. 1डब्ल्यू/325 कि.न. 11 ता 20/2.530 है0, प.न. 1डब्ल्यू/327 कि.न. 7, 14, 15, 16, 17, 24, 25 कुल 1.771 है0, प.न. 0/329 कि.न. 6 ता 10/1.265 है0 कुल 8.096 है0 अनकमाण्ड भूमि पर मौका पर मूल आवंटी दीवानाराम के वारिसों शेराराम आदि बतौर अतिक्रमी कब्जा काश्त है तथा एसबी सिविल रिट माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर का स्थगन है जिसमे प्रार्थीगण को

प्रश्नगत भूमि से बेदखल नही करने के आदेश है। इसलिए प्रश्नगत भूमि राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ4(2)/कोलो/2007/जयपुर दिनांक 04.08.2008 के अनुसरण मे आवंटन के पात्र मानते हुए प्रश्नगत भूमि का पुख्ता आवंटन किया गया है जो सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट के कथनानुसार ''माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर मे एसबी सिविल रीट 1009/2003 विचाराधीन है एवं उसमे स्थगन है जो प्रश्नगत भूमि बाबत की था। इस कारण अपीलाधीन निर्णय से प्रश्नगत भूमि का आवंटन किसी भी सूरत मे रेस्पो0 को नही किया जा सकता था। परन्तु रीट पेटीशन का अन्तिम निर्णय आने से पूर्व ही जल्दबाजी मे अपीलाधीन निर्णय पारित करने मे विचारण न्यायालय ने भूल की है। प्रश्नगत भूमि आराजीराज दर्ज थी एवं रेस्पो0 प्रश्नगत भूमि के आवंटन की पात्रता नही रखते थे। विचारण न्यायालय ने आवंटन की पात्रता बाबत कोई जांच किये बिना विधिक प्रावधानो के विपरीत भूमि का आवंटन रेस्पो. को किया है। रेस्पो0 के पास सिलिंग सीमा से अधिक पूर्व मे भूमि थी परन्तु इसकी कोई जांच किये बिना एवं भूमि की कीमत का सही निर्धारण किये बिना भूमि का आवंटन करने मे आवंटन नियमो की अवहेलना करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है।'' जबकि रेस्पो. के कथनानुसार एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो के अनुसार ''चक 21 पीबीएन के प.न. 0/325 कि.न. 11 ता 14/1.012 है0 बारानी 15, 16/0.456 है0 बारानी 0.050 है0 गैर मुमकिन खाला, 17 ता 20/1.012 है0 कुल 2.530 है0 प.न. 1डब्ल्यू/325 कि.न. 11 ता 20/2.530 है0, प.न. 1डब्ल्यू/327 कि.न. 7, 14, 15, 16, 17, 24, 25 कुल 1.771 है0, प.न. 0/329 कि.न. 6 ता 10/1.265 है0 कुल 8.096 है0 अनकमाण्ड भूमि मिर्जावाला कृषि सहकारी समिति को आवंटन हुई थी तथा प्रार्थीगण शेराराम वगैरा के पिता दीवानाराम उक्त सहकारी समिति के सदस्य थे जो मिर्जेवाला सहकारी समिति सदस्यो की सूची से साबित है तथा उक्त सहकारी समिति भंग होने के कारण भूमि को रकबा राज दर्ज कर दिया परन्तु दीवानाराम उक्त भूमि पर काश्त करता रहा तथा राजस्व (उपनिवेशन) विभाग अधिसूचना दिनांक 04.08.08 के अनुसरण मे प्रार्थीगण/रेस्पो0 को प्रश्नगत भूमि पर आवंटन के पात्र होने के कारण आवंटन का पात्र घोषित किया गया और पत्रावली आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष पेश की गई तथा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा सर्व सम्पति से पुख्ता आवंटन

करने का निर्णय लेने पर प्रार्थीगण से नियमानुसार राशि जमा कराने पर आवंटन किया गया है। जहां तक माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष विचाराधीन एसबी रिट याचिका नं. 1009/2003 का प्रश्न है जो रिट याचिका प्रार्थीगण/रेस्पो0 द्वारा ही प्रस्तुत की गई थी जो प्रार्थीगण/रेस्पो0 के द्वारा ही दिनांक 12.12.14 को विड्रा कर ली गई। अभिभाषक अपीलांट द्वारा कोई विपरीत तथ्यं अपील के समर्थन मे प्रस्तुत नही किया है तथा ना ही आक्षेपित निर्णय को अपीलांट विधि विरूद्ध साबित करने मे सफल रहा है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को यथावत रखा जाना न्यायोचित है।

6. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.08.2014 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 25.05.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official